

[2011] 9 एस.सी.आर. 1110

झारखंड राज्य और अन्य, आदि

बनाम

मेसर्स शिवम कोक इंडस्ट्रीज, धनबाद, आदि

(2011 की सिविल अपील संख्या 6889-6891)

अगस्त 10, 2011

[डॉ. मुकुंदकम शर्मा और अनिल आर. दवे, जे.जे.]

बिहार वित्त अधिनियम 1981:

धारा 46 (4) - वाणिज्यिक करों के संयुक्त आयुक्त द्वारा संशोधन की स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग - तथ्यों के आधार पर, वाणिज्यिक कर प्रभाग के उपायुक्त द्वारा संशोधित मूल्यांकन आदेश पारित किया गया। इसके बाद, नए उपायुक्त ने संयुक्त आयुक्त के ध्यान में लाया कि संशोधित मूल्यांकन आदेश में उनके पूर्ववर्ती द्वारा अवैधताएं की गई थीं। धारा के तहत स्वतः संज्ञान कार्यवाही शुरू की गई।

संशोधित कर निर्धारण आदेशों की वैधता और औचित्य का निर्धारण करने के लिए, कुछ मामलों में तीन वर्ष की अवधि के भीतर और कुछ मामलों में तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद संयुक्त आयुक्त द्वारा करदाताओं को नोटिस/ज्ञापन जारी किया गया। वैधता को माना गया: संयुक्त आयुक्त द्वारा संशोधन की स्वतः संज्ञान शक्ति का कानूनी और उचित रूप से प्रयोग किया गया था। उन्होंने नोटिस जारी करने के लिए अपने स्वतंत्र विचार का इस्तेमाल किया और इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के कारणों को भी दर्ज किया कि धारा 46 (4) के तहत शक्ति का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए। इसके बाद, निर्णय लेने के बाद करदाताओं को नोटिस जारी किया गया।

हालांकि, उप आयुक्त ने अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित संशोधित कर निर्धारण आदेशों में की गई अवैधताओं और अनियमितताओं को इंगित किया, लेकिन नोटिस में उपायुक्त के पत्र और उक्त पत्र में निहित किसी भी अन्य सामग्री का कोई संदर्भ नहीं था। इसलिए, यह नहीं कहा जा सकता है कि विवादित नोटिस में उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय आयुक्त केवल उपायुक्त की राय से प्रभावित थे। यह किसी भी आवेदन के आधार पर शुरू किया गया संशोधन नहीं था। व्यथित पक्ष अर्थात् उपायुक्त, लेकिन संयुक्त आयुक्त द्वारा अपनी राय बनाकर पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू की गई और धारा 46(4) के तहत निहित स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने की संतुष्टि की गई।

इस प्रकार, उच्च न्यायालय और संयुक्त आयुक्त द्वारा संशोधित मूल्यांकन आदेश को रद्द करने के आदेश को रद्द किया जाता है। मामले को नए सिरे से विचार करने के लिए संयुक्त आयुक्त को वापस भेज दिया गया।।

धारा 46(4) - आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण कार्यवाही आरंभ करना - सीमा अवधि - निर्णय: आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण कार्यवाही के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं है। जब विधानमंडल की भाषा स्पष्ट और अस्पष्ट है तो उसमें कुछ भी नया नहीं जोड़ा जा सकता जो स्पष्ट रूप से नहीं कहा गया है। यदि विधानमंडल किसी सीमा अवधि के लिए प्रावधान करना चाहता था या अनुच्छेद 137 के उक्त प्रावधान को धारा 46(4) में लागू करना चाहता था, तो विधानमंडल ने अधिनियम में ही ऐसा स्पष्ट रूप से कहा होता। तथ्यों के आधार पर, उच्च न्यायालय ने अनुच्छेद 137 को धारा 46(4) में लागू करने की कोशिश की, जो सही नहीं था। हालांकि, पुनरीक्षण प्राधिकारी द्वारा ऐसी शक्ति का अनिश्चित काल तक प्रयोग नहीं किया जा सकता है। इसे उचित समय अवधि के भीतर प्रयोग किया जाना चाहिए, जो मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करता है। संयुक्त आयुक्त ने कुछ मामलों में लगभग तीन वर्ष के भीतर और कुछ मामलों में संशोधन के तुरंत बाद स्वप्रेरणा पुनरीक्षण शक्तियों का प्रयोग किया। तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति उचित समय अवधि के भीतर थी।

सीमा अधिनियम, 1963 - अनुच्छेद 137।

संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश, संशोधित मूल्यांकन आदेश को रद्द करते हुए - औचित्य और अनुरक्षणीयता - निर्णय: उक्त आदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था - निर्धारणकर्ता संयुक्त आयुक्त के समक्ष मामला बहुत प्रभावी ढंग से प्रस्तुत नहीं कर सका - अतः, संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित आदेश को रद्द किया जाता है और मामला पुनर्विचार के लिए संयुक्त आयुक्त को वापस भेजा जाता है।

प्रतिवादी-निर्धारणकर्ता, जो कोयले को कोक में प्रोसेस करने में लगे हुए थे, को वितीय वर्षों के लिए कर निर्धारण किया गया था, जिसमें राज्य के भीतर बिक्री लेनदेन पर कर और अंतर-राज्यीय बिक्री लेनदेन पर केंद्रीय बिक्री कर निर्धारित किया गया था। प्रतिवादी ने वाणिज्यिक करों के संयुक्त आयुक्त के समक्ष कर निर्धारण आदेश को चुनौती दी, जिन्होंने कर निर्धारण कार्यवाही को पुनर्विचार के लिए वापस भेज दिया। वाणिज्यिक करों के उपायुक्त ने संशोधित कर निर्धारण आदेश पारित किए, जिसमें उस समय के अंतर-राज्यीय बिक्री को केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम 1956 की धारा 3i(a) के तहत राज्य के भीतर की बिक्री में बदल दिया गया। इसके पश्चात, प्रतिवादियों ने अधिशेष कर राशि की वापसी के लिए आवेदन दायर किया।

इसके बाद, उपायुक्त बदल गए और नए उपायुक्त ने राय दी कि संशोधित कर निर्धारण आदेश अपीलीय निर्देशों के अनुरूप नहीं थे और इस बारे में संयुक्त आयुक्त को सूचित किया। संयुक्त आयुक्त ने बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए कार्यवाही शुरू की और प्रतिवादी को आदेश/ज्ञापन जारी किया, जिसमें कहा गया कि संशोधित कर निर्धारण आदेशों की वैधता और औचित्य को निर्धारित करने के लिए पूर्ण लेखा पुस्तकों का सेट प्रस्तुत करें। कुछ मामलों में, स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का उपयोग तीन वर्षों की अवधि के भीतर किया गया और कुछ मामलों में तीन वर्षों की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद किया गया।

इसके बाद, प्रतिवादियों ने संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी आदेश/ज्ञापन को रद्द करने के लिए रिट याचिका दायर की; साथ ही उस आदेश को भी चुनौती दी जिसमें संयुक्त आयुक्त ने संशोधित कर निर्धारण आदेश को रद्द कर दिया था। उच्च न्यायालय ने रिट याचिकाओं को स्वीकार कर लिया। अतः, अपीलकर्ता-राज्य ने वर्तमान अपीलें दायर कीं।

तत्कालीन अपीलों में विचार के लिए जो प्रश्न उत्पन्न हुआ वह था कि क्या बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत संयुक्त आयुक्त के पास निहित स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण शक्ति का कानूनी और उचित रूप से प्रयोग किया गया था; क्या विभाग द्वारा की गई कार्रवाई सीमाबद्धता द्वारा प्रतिबंधित थी या नहीं और क्या ऐसी कार्रवाई उचित समय के भीतर शुरू नहीं होने के कारण अवैध थी; और क्या संयुक्त आयुक्त द्वारा 26.11.2007 को पारित आदेश, जो 26.12.2003 के संशोधित कर निर्धारण आदेश को रद्द करता है, उचित है और उसे बनाए रखा जा सकता है।

मामले को संयुक्त आयुक्त के पास वापस भेजते हुए, अदालत ने

**निर्णय:** 1.1 बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46 के तहत यह आयुक्त है जो किसी व्यथित पक्ष द्वारा दायर आवेदन के आधार पर उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को संशोधित करता है। उसके पास अतिरिक्त शक्ति भी है, जो संयुक्त आयुक्त के साथ एक प्रतिनिधि के रूप में है, जैसा कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46 (4) के तहत प्रावधान किया गया है, ताकि वह अपने स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करके उसके अधीनस्थ किसी प्राधिकरण द्वारा पारित आदेश को संशोधित कर सके। यह बिहार राज्य द्वारा एस.ओ. नंबर 795 दिनांक 28 जून 1986 के तहत जारी अधिसूचना के अनुसार प्रतिनिधित किया गया है। [पैरा 13 और 14] [1127-डी-एफ]

1.2 इन सभी अपीलों में, वाणिज्यिक करों के उपायुक्त द्वारा संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को लिखे गए पत्र थे। ऐसे एक पत्र में, उपायुक्त ने कहा कि उक्त संवाद बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत स्वतः संज्ञान पुनरीक्षण दायर करने के संबंध में है। उपायुक्त ने मूल कर निर्धारण आदेश और संशोधित आदेश में कथित "त्रुटियों" की ओर

इशारा किया। उन्होंने उस पत्र में यह भी कहा कि वह मंडल प्रभारी द्वारा पारित संशोधित कर निर्धारण आदेश और प्रतिपूर्ति आदेश से सहमत नहीं हैं और इसलिए, उनकी राय में संशोधित कर निर्धारण आदेश के खिलाफ बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत पुनरीक्षण दायर किया जाना चाहिए। इसके बाद, वाणिज्यिक करों के संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) द्वारा प्रतिवादियों को 17.12.2007 को पुनरीक्षण के लिए नोटिस जारी किया गया। [पैरा 22 और 23] [1129-ई-एच; 1130-ए]

1.3 17.12.2007 को जारी किए गए नोटिस का एक सरल अध्ययन यह दिखाता है कि उक्त नोटिस संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया गया था, जिसने धारा 46(4) के तहत अपनी व्यक्तिगत स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग किया। यह एक मामला नहीं है जहाँ ऐसा नोटिस उपायुक्त उपायुक्त द्वारा दायर किया गया था। यह स्पष्ट है क्योंकि उक्त नोटिस में, उपायुक्त द्वारा भेजे गए आवेदन का कोई संदर्भ बिल्कुल नहीं है। यदि किसी विशेष मामले के उपलब्ध रिकॉर्डों से संयुक्त आयुक्त एक स्वतंत्र राय बनाता है कि वह स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने का एक मामला है, तो उसे ऐसी स्थिति में संशोधन की स्वतः संज्ञान शक्ति का प्रयोग करने की अधिकार होता है, जो ऐसे आदेश को संशोधित करने की अवैधता और प्राधिकरण के बिना उचित करने का विचार करने वाले प्राधिकरण को जो उनके इस निष्कर्ष पर पहुंचने के कारणों को नोटिस में स्वयं दर्ज करके उसका प्रयोग करने का अधिकार होता है। [पैरा 26] [1131-सी-एफ]

1.4 इस अभ्यास के मामले में, संयुक्त आयुक्त ने अपने स्वतंत्र मन का प्रयोग किया नोटिस जारी करने के लिए और संयुक्त आयुक्त ने भी यह स्पष्ट किया कि धारा 46(4) के तहत शक्ति का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए, इस निर्णय को क्यों लिया गया है। इस निर्णय को दर्ज करने के बाद, ऐसा नोटिस आये जिसमें निर्णय किया गया था। उस नोटिस के माध्यम से अभियांता को सूचित किया गया कि संशोधित मूल्यांकन आदेश की वैधता और औचित्य स्थापित नहीं हुई है क्योंकि नोटिस में उल्लिखित कारणों के कारण, और इसलिए, उसे संशोधित करने की प्रस्तावना की गई है क्योंकि यह आवश्यक माना गया है। उस नोटिस

के माध्यम से अभियांता को संयुक्त आयुक्त के समक्ष उपस्थित होने और अपनी बारी रखने के लिए निर्देशित किया गया कि संशोधित मूल्यांकन आदेश को क्यों नहीं रद्द किया जाना चाहिए। [पैरा 27] [1131-जी-एच; 1132-A-B]

1.5 उक्त आदेश के जारी होने से पीड़ित पक्ष ने उच्च न्यायालय में एक रिट पिटीशन दाखिल किया। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उस नोटिस को किसी भी रोक नहीं दी और प्राविधिक रूप से कानून के अनुसार उस नोटिस के खिलाफ विरोध करने की अनुमति दी, जिसके दौरान वाणिज्यिक करों के संयुक्त आयुक्त ने संशोधित आदेशों को रद्द किया और मामला को नए मूल्यांकन के लिए जाँच अधिकारी के पास लौटाया। उच्च न्यायालय ने उक्त रिट पिटीशन को दो मुद्दों पर खत्म किया, जिसमें सेक्शन 46(4) के व्याप्ति और दायित्व की सीमा के मुद्दे पर, बीएफटी एक्ट, 1981 के, और समयसीमा के आधार पर भी। व्यापारिक कर विभाग के उपायुक्त ने संयुक्त आयुक्त को आदेशों में कई गलतियों का संदर्भ दिया। [पैरा 28-29] [1132-C-G]

1.6 उप-आयुक्त ने यह भी दिखाया कि अभियंता ने कैसे विरोधाभासी दावे और बयानों को किया, और यह भी कैसे, ऐसे विरोधाभासी दावों को स्वीकार करते हुए, विभाग के लिए राजस्व का नुकसान हुआ है। अपने पत्र के साथ, कुछ महत्वपूर्ण रिकॉर्ड संयुक्त आयुक्त को प्रेषित किए गए। यह सच है कि व्यापारिक कर विभाग के उपायुक्त ने उसके पूर्ववर्ती द्वारा किए गए संशोधित मूल्यांकन आदेशों में कुछ अवैधताओं और अनियमितताओं का खुलासा किया और प्रकट किया। लेकिन संयुक्त आयुक्त द्वारा निर्गत नोटिस का अभियान दिखाता है कि उन्होंने स्वीकृत प्राधिकारी के रूप में एक स्वतंत्र मत और व्यक्तिगत संतोष रखा कि संशोधित मूल्यांकन आदेश की वैधता और उचितता स्थापित नहीं हुई क्योंकि उस नोटिस में विशेष रूप से उल्लिखित कारणों के कारण, और इसलिए, उन्होंने यह सोचा कि इसके बाद अपनी स्वतंत्र संशोधन शक्ति का प्रयोग करना उचित है, जिसके परिणामस्वरूप उस नोटिस को जारी किया गया। [पैरा 30-31] [1132-एफ-एच]

1.7 उक्त नोटिस में उपायुक्त उपायुक्त के पत्र और किसी भी अन्य सामग्री का कोई संदर्भ नहीं है, नोटिस के किसी भी स्थान पर और इसलिए, यह कहा नहीं जा सकता है कि निर्दिष्ट नोटिस में उक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय, आयुक्त द्वारा केवल उपायुक्त की राय से प्रभावित थे। रिकॉर्ड की विचारणा के आधार पर, यह किसी भी एक आपतियों पक्ष द्वारा दाखिल आवेदन के आधार पर पुनरीक्षण किया गया नहीं था, यानी उपायुक्त द्वारा, बल्कि साक्षात्कार के द्वारा जोइंट कमीशनर द्वारा उसके स्वयं के धारणा और संतोष के साथ स्वतंत्र राय और आत्मसंतोष के आधार पर सू मोटु शक्ति का प्रयोग किया जाना शुरू हुआ था, रिकॉर्ड पर आधारित धारा 46(4) के तहत। [पैरा 32] [1133-सी-ई]

2.1 कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा स्वतंत्र पुनरीक्षणीय प्रक्रिया की प्रारंभिकता के लिए, जबकि किसी आपतियों पक्ष द्वारा संयुक्ताधिकारी के पुनरीक्षणीय प्राधिकरण की प्रारंभिकता के लिए पुनरीक्षण-आवेदन की दर्ज करने की अवधि निर्धारित की गई है जो समय उस समय में 90 दिन था। [पैरा 34] [1133-एच; 1134-ए-बी]

2.2 उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित किया कि यह न संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा स्वतंत्र पुनरीक्षणीय शक्ति के प्रयोग के लिए प्रारंभिकता के लिए असीमित समय सीमा हो सकती है और इसलिए, सीमाकाल अधिनियम के अनुच्छेद 137 का प्रावधान अधिनियम में पढ़ा गया कि किसी भी कारण के उत्पन्न होने की तारीख से कम से कम तीन वर्ष के भीतर ऐसा स्वतंत्र पुनरीक्षण का शक्ति संयुक्त आयुक्त द्वारा प्रयोग किया जाना चाहिए। [पैरा 35] [1134-सी-डी]

2.3 विधायिका ने बिल्कुल भी निर्दिष्ट नहीं किया है कि सीमा 46(4) के लिए सीमाकाल अधिनियम के अनुच्छेद 137 का लागू होने के बारे में कोई धारा किसी भी प्रावधान में। यदि कानूनसभा किसी भी सीमा की अवधि के लिए प्रदान करने या अनुचित अनुचित अनुचित कानूनसभा के अनुच्छेद 137 का प्रयोग के लिए कोई इरादा रखती, तो कानूनसभा अधिनियम में स्पष्ट रूप से इसे कहा होता। जब कानूनसभा की भाषा स्पष्ट और

अस्पष्ट है, तो उसमें कोई ऐसी बात नहीं पढ़ी जा सकती है या जो स्पष्ट रूप से नहीं कही गई है। उच्च न्यायालय ने गलती से लागू किया सीमाकाल अधिनियम के अनुच्छेद 137 के आवेदन को सीमा 46(4) में। ऐसी शक्ति को पुनरीक्षणीय प्राधिकरण अनिश्चितकाल तक नहीं प्रयोग किया जा सकता है। ऐसी अत्याधुनिक शक्ति यानी स्वतंत्र द्वारा पुनरीक्षण प्रक्रिया के प्रारंभ की शक्ति को एक समय में प्रयोग किया जाना चाहिए और क्या एक उचित समय का समय है, यह हर मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा। [पैरा 36 और 39] [1134-ई-एफ; 1135-बी]

सकुरु बनाम तानाजी (1985) 3 एससीसी 590: 1985 (2) पूरक एससीआर 109; सुलोचना चंद्रकांत गलांडे बनाम पुणे नगर परिवहन और अन्य। (2010) 8 एससीसी 467: 2010 (9) एससीआर 476; भारत सरकार बनाम सिटेडल फाइन फार्मास्युटिकल्स, मद्रास और अन्य। (1989) 3 एससीसी 483:1989 (3) एससीआर 465; पंजाब राज्य और अन्य। (v) भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक यूनियन लि (2007) 11 एससीसी 363 2007 (11) एससीआर 14 - संदभत है।

2.4 अभिलेखों के अवलोकन से यह पाया गया कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग कुछ मामलों में लगभग तीन वर्ष की अवधि के भीतर तथा कुछ मामलों में तीन वर्ष की अवधि की समाप्ति के तुरंत बाद किया गया है। ऐसी अवधि जिसके दौरान संयुक्त आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया, उसे तत्काल मामले के तथ्यों के आधार पर किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता। तीन वर्ष की अवधि को बहुत लंबी अवधि नहीं कहा जा सकता, इसलिए इन सभी मामलों में शक्ति का प्रयोग उचित समय अवधि के भीतर किया गया। [पैरा 44] [1136-0-ई]

3.1 दिनांक 26.11.2007 का आदेश संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित किया गया था, जबकि प्रतिवादी उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रहा था और इसलिए करदाता के लिए संयुक्त आयुक्त के समक्ष लंबित उक्त कार्यवाही पर अपना पूरा ध्यान और ध्यान देना संभव नहीं था। अपीलकर्ता के वकील भी इस तथ्य पर विवाद नहीं कर सके कि प्रतिवादी संयुक्त आयुक्त के



समक्ष उक्त मामले को बहुत प्रभावी ढंग से चुनौती देने में कुछ हद तक अक्षम था। [पैरा 46]  
[1137-ए-सी]

3.2 मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए दिनांक 26.11.2007 के आदेश को निरस्त किया जाता है तथा मामले को पुनः संयुक्त आयुक्त को वापस भेजा जाता है ताकि वे पक्षों की सुनवाई करें तथा दिनांक 26.12.2003 के संशोधित मूल्यांकन आदेश की वैधता एवं औचित्य के संबंध में नया आदेश पारित करें। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश को उक्त सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा मामले को वापस भेजा जाता है। [पैरा 47] [1137-सी-डी]

**केस लॉ संदर्भ:**

1985 (2) सप'। एससीआर 109	संदर्भित	पैरा 37
2010 (9) एससीआर 476	संदर्भित	पैरा 41
1989 (3) एससीआर 465	संदर्भित	पैरा 42
2007 (11) एससीआर 14	संदर्भित	पैरा 43

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार सिविल अपील नं. (घ) वर्ष 2011 का यह मामला सं 6889-6891 है।

2007 के डब्ल्यूपी (टी) संख्या 6377 में रांची में झारखंड के उच्च न्यायालय के निर्णय और आदेश दिनांक 14.03.2008 से 2007 की डब्ल्यूपी (टी) संख्या 5895 और 5892।

2011 के सीए संख्या 6892 और 6893 के साथ।

**अपीलकर्ताओं के लिए** रतन कुमार चौधरी, ब्रह्मजीत मिश्रा, अक्षय शुक्ला, अनिल कुमार झा, छाया कुमारी।

**उत्तरदाताओं के लिए** श्याम दीवान, अरिजीत मजूमदार, रामेश्वर प्रसाद गोयल, प्रदीप कुमार बखशी, एसएल अनेजा, अचिंत रंजन सिंह शामिल हैं।

**न्यायालय का निर्णय डॉ. मुकुंदकम शर्मा जे. द्वारा दिया गया**

1. SLP (C) No. 8424/2010 में विलंब को माफ किया गया।
2. अनुमति दी गई।

इस सामान्य निर्णय और आदेश द्वारा, हम इन अपीलों का निपटान करने का प्रस्ताव करते हैं क्योंकि वे तथ्यों के साथ-साथ कानून के समान मुद्दों को शामिल करते हैं और इसलिए, उन्हें एक साथ सुना गया था।

3. 2008 की एसएलपी (सिविल) संख्या 19104-19106 से उत्पन्न अपीलें 2007 के डब्ल्यूपी (टी) संख्या 6377, 2007 के डब्ल्यूपी (टी) संख्या 5895 और 2007 के डब्ल्यूपी (टी) संख्या 5892 में दिनांक 14.3.2008 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित हैं। 2008 की एसएलपी (सिविल) संख्या 21491 से उत्पन्न अपील 2007 के डब्ल्यूपी (टी) संख्या 6071 में दिनांक 19.3.2008 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है और 2010 की एसएलपी (सिविल) संख्या 8424 से उत्पन्न अपील रांची में झारखंड उच्च न्यायालय द्वारा पारित 2009 की डब्ल्यूपी (टी) 54 में दिनांक 31.7.2009 के निर्णय और आदेश के खिलाफ निर्देशित है, जिसमें उत्तरदाताओं द्वारा दायर सभी रिट याचिकाओं की अनुमति दी गई है।

**एसएलपी (सी) संख्या 19104 से उत्पन्न सिविल अपील 2008**

4. एसएलपी (सी) संख्या 19104/2008 से उत्पन्न अपील में मामला दायर करने के लिए अग्रणी तथ्य यह हैं कि प्रतिवादी-श्रीमती शिवम कोक इंडस्ट्रीज, धनबाद एक कोयला निर्माता है और बिहार वित्त अधिनियम, 1981 [अब निरस्त - संक्षेप में "बीएफटी अधिनियम, 1981" और वर्तमान में झारखंड मूल्य वर्धित कर, 2005 के प्रावधानों के तहत पंजीकृत थी।

प्रतिवादी-करदाता हार्ड कोक के निर्माता होने के नाते भारत कोकिंग कोल लिमिटेड से कोयला खरीदता है, स्थानीय बिक्री कर @ 4% का भुगतान करने के बाद, जिसका उपयोग हार्ड कोक के निर्माण के उद्देश्य से इनपुट के रूप में किया जा रहा है। प्रतिवादी को वित्तीय वर्ष 1988-89, 1992-93 और 1996-97 के लिए कर निर्धारित किया गया था, जिसमें केंद्रीय अंतर-राज्यीय बिक्री लेनदेन के साथ-साथ केंद्रीय कर का निर्धारण किया गया था। अंतर-राज्यीय बिक्री लेनदेन पर बिक्री कर। प्रतिवादी ने वित्तीय वर्ष 1988-89, 1992-93 और 1996-97 के लिए 26.4.1990 से 23.12.1998 के बीच पारित मूल्यांकन आदेशों के खिलाफ धनबाद डिवीजन, धनबाद के संयुक्त आयुक्त, वाणिज्यिक कर (अपील) के समक्ष अपील दायर की, जिन्होंने 25.08.2003 के डी आदेश के तहत लेखा पुस्तकों की पुनः जांच करने और बिक्री की प्रकृति को पुनः निर्धारित करने के लिए एक सामान्य आदेश द्वारा उपरोक्त मूल्यांकन कार्यवाही को वापस भेज दिया कि क्या वे अंतर-राज्यीय बिक्री या अंतर-राज्यीय बिक्री हैं, खाता पुस्तकों और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के आधार पर और साथ ही केंद्रीय बिक्री कर अधिनियम, 1956 (संक्षेप में "सीएसटी अधिनियम") की धारा 3 (ए) के अर्थ और दायरे के भीतर। इसके बाद, वाणिज्य कर उपायुक्त, धनबाद अंचल ने संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (अपील) द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के आधार पर 26.12.2003 को संशोधित मूल्यांकन आदेश पारित किया, जिसमें सीएसटी अधिनियम 1956 की धारा 3(ए) के तहत तत्कालीन अंतर-राज्यीय बिक्री को राज्य के भीतर बिक्री में बदल दिया गया। प्रतिवादी ने 10.3.2005 को प्रतिवादी द्वारा भुगतान की जाने वाली राशि के समायोजन के बाद कर की अतिरिक्त राशि की वापसी के लिए आवेदन दायर किया। तदनुसार, 1 जुलाई 21.8.2006 को वाणिज्य कर उपायुक्त द्वारा प्रतिवादी को नोटिस जारी किया गया कि वह संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर के समक्ष अपना वापसी आवेदन दायर करें, क्योंकि प्रतिवादी को वापस की जाने वाली राशि 25,000/- रुपये से अधिक है। तत्पश्चात वर्ष 2006 में, जैसा कि प्रतिवादी द्वारा आरोप लगाया गया है, धनबाद अंचल के उपायुक्त को बदल दिया गया और नए उपायुक्त ने प्रतिवादी के संशोधित कर निर्धारण आदेशों की जांच की और उन्होंने कहा कि संशोधित कर निर्धारण आदेश अपीलीय निर्देश के अनुरूप नहीं हैं और उपायुक्त ने संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (प्रशासन) को अपनी टिप्पणियों से

अवगत कराया। संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (प्रशासन), धनबाद प्रमंडल, धनबाद [अपीलकर्ता संख्या 4] ने तब बिहार वित्त अधिनियम, 1981 [अब निरस्त] की धारा 46(4) के तहत स्वप्रेरणा से कार्यवाही शुरू की और दिनांक 1.8.2007 को नोटिस/ज्ञापन संख्या 744 जारी कर प्रतिवादी को अपीलीय आदेश के अनुरूप उक्त संशोधित कर निर्धारण आदेशों की वैधता और औचित्य निर्धारित करने के लिए लेखा पुस्तकों का पूरा सेट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया। 28.11.2007 को प्रतिवादी ने झारखंड उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की, जिसे WP (T) संख्या 6377/2007 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त (प्रशासन) द्वारा जारी नोटिस/ज्ञापन संख्या 883 दिनांक 20.9.2007 [जो कि पूर्व के नोटिस/ज्ञापन संख्या 744 दिनांक 1.8.2007 के अनुसरण में जारी किया गया था] को निरस्त करने का निर्देश देने की प्रार्थना की गई थी, जिसमें निरस्त BFT अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के अंतर्गत स्वप्रेरणा से कार्यवाही आरंभ करने और संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 26.11.2007 के आदेश को निरस्त करने की भी मांग की गई थी, जिसके द्वारा उन्होंने दिनांक 26.12.2003 के संशोधित मूल्यांकन आदेश को निरस्त कर दिया था। झारखंड उच्च न्यायालय ने अपने दिनांक 14.03.2008 के आदेश द्वारा प्रतिवादी की रिट याचिकाओं को अनुमति दी, जिसके विरुद्ध अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपील दायर की है, जिस पर हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ता को सुना।

#### **एसएलपी (सी) संख्या 19105-06/2008 से उत्पन्न सिविल अपील**

5. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 19105-06/2008 से उत्पन्न अपीलों के दाखिल होने के तथ्य इस प्रकार हैं कि प्रतिवादी - एम/एस. रानी सती कोक मैन्युफैक्चरिंग कंपनी, बलियापुर, धनबाद कोयले से कोक के प्रसंस्करण में संलग्न है और 1984-85 से 2000-2001 तक के वित्तीय वर्षों के लिए "राज्य के भीतर बिक्री" लेनदेन के साथ-साथ अंतर-राज्यीय बिक्री लेनदेन पर केंद्रीय बिक्री कर के लिए कर निर्धारण किया गया था। प्रतिवादी ने 1984-85 से 2000-01 तक के वित्तीय वर्षों के लिए 29.12.1997 से 10.3.2003 के बीच पारित निर्धारण आदेशों के खिलाफ अपील दायर की और अपीलीय प्राधिकारी, अर्थात्, वाणिज्यिक कर

(अपील) के संयुक्त आयुक्त, धनबाद मंडल, धनबाद ने सामान्य आदेश द्वारा उक्त निर्धारण कार्यवाही को लेखा पुस्तकों और लेखा परीक्षा रिपोर्टों के साथ-साथ सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 3(क) के अर्थ और दायरे के आधार पर राज्य के भीतर बिक्री और अंतर-राज्यीय बिक्री की प्रकृति का पुनः परीक्षण करने के लिए पुनः भेजा। इसके बाद, वाणिज्यिक कर के उपायुक्त ने 14.12.2005 और 29.12.2005 को आदेश जारी करके सीएसटी अधिनियम, 1956 की धारा 3(क) के तहत अंतर-राज्यीय बिक्री को राज्य के भीतर बिक्री में बदलते हुए संशोधित निर्धारण आदेश पारित किए। इसके बाद, प्रतिवादी ने वाणिज्यिक कर के उपायुक्त के समक्ष निर्धारित धनवापसी आवेदन दायर किया। इसके बाद, 2006 में, प्रतिवादियों द्वारा आरोप लगाया गया कि धनबाद सर्कल के उपायुक्त बदल गए और नए उपायुक्त ने प्रतिवादी के संशोधित निर्धारण आदेशों की जांच की और उन्होंने राय दी कि संशोधित निर्धारण आदेश अपीलीय निर्देश के अनुरूप नहीं हैं और इसलिए उनका कोई महत्व नहीं है क्योंकि उन्हें उसी तथ्यों के आधार पर पुनः आंका गया था, जिसके कारण धनवापसी का दावा किया गया और उपायुक्त ने अपनी टिप्पणियों के बारे में वाणिज्यिक कर (प्रशासन) के संयुक्त आयुक्त को सूचित किया। इसके बाद, वाणिज्यिक कर (प्रशासन) के संयुक्त आयुक्त ने बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत स्वतः संज्ञान लेते हुए प्रक्रिया शुरू की और प्रतिवादी को 06.09.2007 को नोटिस संख्या 850 जारी करते हुए अपीलीय आदेश के अनुरूप संशोधित निर्धारण आदेशों की वैधता और उचितता निर्धारित करने के लिए पूर्ण लेखा पुस्तकों के सेट प्रस्तुत करने का निर्देश दिया।

इसके बाद, प्रतिवादी संख्या 2 ने झारखंड उच्च न्यायालय में दो रिट याचिकाएं दाखिल कीं, जिन्हें डब्ल्यूपी (टी) संख्या 5892 और 5895/2007 के रूप में पंजीकृत किया गया, जिसमें अपीलकर्ताओं को संशोधित निर्धारण आदेशों से उत्पन्न पूरी राशि की तत्काल धनवापसी के निर्देश देने की प्रार्थना की गई, जिसमें उच्च न्यायालय ने अपीलकर्ताओं को पुनरीक्षण प्रक्रिया में भाग लेने का निर्देश दिया, जिसके बाद प्रतिवादी ने उच्च न्यायालय के समक्ष एक संशोधित याचिका दायर की जिसमें यह तथ्य लाया गया कि बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत पुनरीक्षण प्रक्रिया उपायुक्त के आवेदन के आधार पर खोली गई थी, जो कि

निरस्त बीएफटी अधिनियम, 1981 के प्रावधानों के अनुसार अनुमति नहीं है और यह भी सीमा द्वारा प्रतिबंधित है। झारखंड उच्च न्यायालय ने 14.03.2008 के अपने आदेश में प्रतिवादियों की रिट याचिकाएं स्वीकार कीं, जिसके खिलाफ अपीलकर्ताओं ने वर्तमान अपीलें दायर की हैं, जिन पर हमने पक्षों के वकीलों को सुना।

**एसएलपी (सी) संख्या 21491 और 8424/2008 से उत्पन्न सिविल अपीलें।**

6. विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 21491/2008 से उत्पन्न अपीलें झारखंड उच्च न्यायालय के 19.03.2008 के निर्णय और आदेश के खिलाफ हैं, जो WP (T) संख्या 6377/2007 के निर्णय का अनुसरण करते हुए दिया गया था। इस अपील के तथ्य और विशेष अनुमति याचिका (सिविल) संख्या 8424/2010 से उत्पन्न अपील के तथ्य अन्य अपीलों के समान हैं। इसलिए, हमें उक्त दो अपीलों के विस्तृत तथ्यों में जाने की आवश्यकता नहीं है।

7. अपीलकर्ता के लिए उपस्थित विद्वान वकील ने हमें विवादित निर्णय और संबंधित अभिलेखों की ओर ध्यान आकर्षित करते हुए प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा पारित निर्णय और आदेश गलत हैं। उन्होंने आगे प्रस्तुत किया कि उच्च न्यायालय द्वारा किए गए निष्कर्ष त्रुटिपूर्ण हैं और रिकॉर्ड पर उपलब्ध सामग्री के गलत पठन पर आधारित हैं।

8. दूसरी ओर, प्रतिवादियों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील ने विवादित निर्णय और आदेश से समर्थन प्राप्त करते हुए दलील दी कि उच्च न्यायालय द्वारा दर्ज किए गए निष्कर्ष तथ्यात्मक निष्कर्ष हैं और इसलिए इस न्यायालय को अपने निष्कर्षों के लिए सुसंगत कारण देकर उच्च न्यायालय द्वारा निकाले गए तथ्यों के उपरोक्त निष्कर्षों में हस्तक्षेप नहीं करना चाहिए।

9. प्रस्तुत सम्पूर्ण अभिलेखों एवं सामग्रियों को पढ़ने तथा पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान अधिवक्ताओं को सुनने के बाद, हमारी सुविचारित राय में हमारे विचारार्थ निम्नलिखित तीन मुद्दे उठते हैं;

(a) क्या बीएफटी अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत संयुक्त आयुक्त को दी गई संशोधन की स्वप्रेरणा शक्ति का वर्तमान मामले में कानूनी और उचित रूप से प्रयोग किया गया था;

(b) क्या विभाग द्वारा की गई कार्रवाई समय सीमा द्वारा अवरुद्ध थी और क्या ऐसी कार्रवाई को उचित समय के भीतर शुरू न किए जाने के कारण गलत माना गया था;

(c) क्या 26.12.2003 के संशोधित मूल्यांकन आदेश को निरस्त करने वाले संयुक्त आयुक्त द्वारा 26.11.2007 को पारित आदेश उचित है और इसे बरकरार रखा जा सकता है;

10. हम प्रस्तावित करते हैं कि उपर्युक्त तीनों मुद्दों से एक-एक करके निपटें और प्रत्येक मुद्दे पर निर्णय पर पहुंचने के अपने कारणों को दर्ज करें;

**मुद्दा 1: क्या बीएफटी अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत स्वतः संज्ञान संशोधन शक्ति के प्रयोग को बनाए रखा जा सकता है;**

11. बीएफटी अधिनियम, 1981 की धारा 46, जिसे हम वर्तमान मामले में देख रहे हैं, बिहार वित्त अधिनियम, 1981 के साथ अधिनियमित की गई थी। उक्त अधिनियम एक समेकित अधिनियम था जिसे राज्य विधानमंडल द्वारा माल की बिक्री और खरीद पर कर लगाने से संबंधित कानून में संशोधन करने के लिए पारित किया गया था। इस अधिनियम में, धारा 45 अपील दायर करने के प्रावधान को प्रदान करती है जबकि अधिनियम की धारा 46 पुनरीक्षण के प्रावधान को निर्धारित करती है। वर्तमान मामले में, हम केवल पुनरीक्षण के प्रावधान से संबंधित हैं और हमारे आकलन में धारा 46 के पूरे प्रावधान को यहां उद्धृत किया जाना चाहिए।

46. पुनरीक्षण - (1) ऐसे नियमों के अधीन रहते हुए, जिन्हें राज्य सरकार द्वारा बनाया जा सकता है, धारा 45 की उप-धारा (1) या (2) के तहत अपील पर पारित आदेश, आवेदन पर, न्यायाधिकरण द्वारा पुनरीक्षित किया जा सकता है।

(2) उपरोक्त के अनुसार, इस भाग के तहत या उसके अधीन बनाए गए नियमों के तहत किसी भी आदेश, संशोधित किया जा सकता है, जो धारा 9 की उप-धारा (5) के तहत आयुक्त द्वारा पारित किया गया हो या जिसके खिलाफ धारा 45 में अपील प्रदान की गई हो।

(a) यदि उक्त आदेश उप-आयुक्त के योग्यता स्तर से ऊपर किसी प्राधिकारी द्वारा पारित किया गया है, तो संयुक्त आयुक्त द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

(b) यदि उक्त आदेश संयुक्त आयुक्त या आयुक्त द्वारा पारित किया गया है, तो उसे ट्रिब्यूनल द्वारा संशोधित किया जा सकता है।

(3) इस धारा के तहत पुनरीक्षण के लिए प्रत्येक आवेदन को जिस आदेश का पुनरीक्षण किया जाना चाहिए, उसके संदेश के निर्देशानुसार निम्नलिखित दिनों के भीतर दाखिल किया जाना चाहिए, लेकिन जहां आवेदन दाखिल करने के लिए योग्य अधिकारी को यह संतुष्टि मिलती है कि आवेदक को समय में आवेदन करने के लिए पर्याप्त कारण था, तो वह देरी को क्षमा कर सकती है।

(4) आयुक्त स्वप्रेरणा से किसी कार्यवाही के अभिलेखों की जांच करने के लिए कह सकेगा, जिसमें धारा 9 के अधीन नियुक्त किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कोई आदेश पारित किया गया हो, ताकि ऐसे आदेश की वैधता या औचित्य के बारे में वह स्वयं संतुष्ट हो सके और अभिलेख की जांच करने तथा ऐसी जांच करने या करवाने के पश्चात, जैसा वह आवश्यक समझे, ऐसा आदेश पारित कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(5) इस धारा के तहत कोई आदेश उन्हें बिना दिए नहीं जाएगा, जिन्होंने याचिका की हो या जिनके आदेश को संशोधित करने की याचना की जाती है, या उनके प्रतिनिधि को, सुनने का एक उचित अवसर।



(6) किसी अपीलीय आदेश के खिलाफ किसी संशोधन को, जो संयुक्त आयुक्त या किसी अन्य आदेश के खिलाफ उपयुक्त निर्णय के खिलाफ पूर्व में जमा और विचाराधीन हो चुका है, इस भाग के प्रभावान्तरण से पहले के रूप में समझा जाएगा कि वह संशोधन/ जमा किया गया है और/या संशोधन/जमा उसी प्रकार संयुक्त आयुक्त और उप आयुक्त के पास संबंधित रूप से स्थानांतरित किया जाएगा; और किसी अपीलीय आदेश के खिलाफ या किसी अन्य आदेश के खिलाफ, जिसे उप आयुक्त के स्तर से ऊपर के निर्णय पर इस भाग के प्रभावान्तरण के बाद दर्ज किया गया है, उसे उसी तरह अपील के लिए संशोधित किया जाएगा, और संयुक्त आयुक्त के सामने दर्ज किया जाएगा।

12. उक्त अधिनियम को 1984 में संशोधित किया गया। बिहार वित्त संशोधन अधिनियम, 1984 की धारा 10 ने कुछ दृष्टिकोणों में धारा 4Ei को संशोधित किया, जो फिर नीचे उत्पादित किया गया है:

10. बिहार अधिनियम V, 1981 की धारा 46 का संशोधन (भाग/।)। - उक्त अधिनियम की धारा 46 के उप-अनुभाग (3) में "छब्बीस" शब्द के स्थान पर "नब्बे" शब्द का स्थानांतरण किया जाएगा। (2) अनुभाग (4) के लिए निम्नलिखित उप-अनुभाग का स्थानांतरण किया जाएगा, जिसमें कहा गया है: -

"4 (a) आयुक्त स्वयं संशोधन कर सकता है, और यदि वह किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा धारा 9 के अधीन नियुक्त किए गए किसी भी प्रक्रिया में किसी आदेश के विषय में किया गया है, तो स्वयं को इसकी वैधता या उचितता के लिए संतुष्ट करने के लिए उन रिकॉर्ड को बुलाकर देख सकता है और रिकॉर्ड की जांच करने और आवश्यक मानने पर जांच करने के बाद, वह ऐसा आदेश जारी कर सकता है जितना उचित समझे।"

13. बिहार वित्त (संशोधन) अध्यादेश, 1989 की धारा 7 को प्रविष्ट करके, उप-धारा (4) का उपबिंद (बी) को मई, 1989 से प्रभाव से हटा दिया गया है। इसलिए; अब वह निर्धारित सांविधिक प्रावधान है जो कि धारा 46 के तहत संशोधन करता है बिहार वित्त (संशोधन) अधिनियम, 1981 के अधीन विभिन्न प्राधिकारिक आदेशों का। धारात्मक प्रावधान के अनुसार,

संशोधन का अधिकार ट्रिब्यूनल और संयुक्त आयुक्त के साथ है, जिसे कोई भी पीड़ित व्यक्ति आवेदन कर सकता है, लेकिन उप-धारा (3) जिसमें समय सीमा निर्धारित की गई है, के अनुसार यानी आदेश की संचार के 90 दिनों के अंदर, यदि पर्याप्त कारण दिखाया जाता है तो देरी को कन्डोन करने की शक्ति के साथ। आयोग को एक अतिरिक्त शक्ति भी है जो कमिशनर को संशोधन की स्वयं संचित प्रक्रिया को किसी भी समय प्रारंभ करने की अनुमति देती है और इस प्रकार के प्रयोग के लिए कोई सीमा संविधान में निर्धारित नहीं की गई है। ऐसे स्वयं संचित संशोधनीय प्रक्रिया का अधिकार संयुक्त आयुक्त वाणिज्यिक कर अधिसूचना जारी करने के तरीके में नियुक्त अधिकारियों के आदेशों के खिलाफ कमिशनर को सौमोतु संशोधनीय प्रक्रिया को संचित किया गया है, जो कि बिहार राज्य द्वारा निर्धारित अधिसूचना के तहत 28 जून 1986 को जारी किया गया था।

14. इस प्रकार स्पष्ट हो जाता है कि बिहार वित्त (बीएफटी) अधिनियम, 1981 की धारा 46 के तहत, यह आयुक्त होता है जो किसी पीड़ित पक्ष द्वारा दायर किए गए आदेश को संशोधित करता है जो किसी उससे अधीन प्राधिकरण द्वारा पारित किया गया है। इसके साथ ही इसके पास बीएफटी अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के अधीन जोड़ी गई एक अतिरिक्त शक्ति होती है, जिसके अनुसार यह अपनी स्वेच्छापूर्ण शक्ति का प्रयोग करके इसके अधीन आधिकारिक द्वारा पारित किए गए किसी आदेश को संशोधित कर सकता है।

15. इन सभी अपीलों में, वाणिज्यिक उप-आयकर आयुक्त ने बीएफटी अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) में उन्हें प्राप्त शक्ति का प्रयोग किया है, जो अधिकांश मामलों में उन्होंने तीन साल के अंतर्गत प्रयोग किया था लेकिन कुछ अन्य मामलों में तीन साल की समय सीमा के समापन के बाद, लेकिन शीघ्र ही उसके बाद।

16. उस दृष्टिकोण में, उत्तरदाता के वकील ने उच्च न्यायालय में यह दावा किया कि अधिकारी द्वारा इस शक्ति का प्रयोग दो साल से अधिक समय के बाद अवैध, अधिकारहीन और कानून के खिलाफ है। झारखंड उच्च न्यायालय के डिवीजन बेंच ने उत्तरदाता के वकील के उक्त आपत्तियों में बाल देखा और यह निर्धारित किया कि ऐसी स्वि मोटू शक्ति जो किसी

अधिकारी को सौंपी गई हो, उसे तीन साल की अवधि के भीतर ही प्रयोग किया जाना चाहिए जो एक सीमित अवधि है जो निर्धारित की गई है लिमिटेशन एक्ट, 1963 के अनुसार धारा 137 के अंतर्गत। उच्च न्यायालय के अनुसार, जहां पुनरावलोकन दर्ज करने के लिए कोई समय सीमा निर्धारित नहीं की गई है, वहां लिमिटेशन एक्ट की धारा 137 का उपयोग किया जाएगा। इसे और भी यह निर्धारित किया गया कि क्योंकि धारा 46(4) के तहत कोई समय सीमा निर्धारित नहीं है, इसलिए वर्तमान मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर लिमिटेशन एक्ट की धारा 137 की लागू होगी।

17. अपीलकर्ता के वकील ने हालांकि हमारे समक्ष प्रस्तुत किया कि कानून की वास्तविक स्थिति के रूप में उक्त आपत्तियाँ स्वाभाविक रूप से स्वीकार्य नहीं हैं, क्योंकि धारा 46 में उप-धारा (4) को प्रारंभ करके, विधायक ने समय सीमा या प्रतिबंध को लागू करने की कोई अपेक्षा नहीं की और इसलिए धारा 137 को इस प्रकार के मामलों पर लागू करना केवल प्रावधानों का गलत वाचन है क्योंकि यदि यह कानूनसभा का इरादा था, तो वह स्पष्ट रूप से ऐसा उल्लेख करते हुए उक्त प्रावधान को इस प्रकार के मामलों में लागू करती।

18. अतः, वकील ने यह दावा किया कि ऐसे सुझाव को ध्यान में रखा जाना चाहिए कि आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा स्वचालित संशोधन प्रक्रियाओं की प्रारंभ की जाने वाली इस शक्ति को किसी समय या सीमा के बिना माना जाना चाहिए, या कम से कम यह माना जाना चाहिए कि ऐसा संशोधन का प्रयोग समय-सीमा में निर्भर कर सकता है, जो प्रत्येक मामले के तथ्य और परिस्थितियों पर निर्भर करता है।

19. उत्तरदाता के वकील द्वारा प्रस्तुत एक और यह सुझाव था कि संयुक्त आयुक्त ने तत्काल मामले में स्वचालित संशोधन की शक्ति उपयोग की है जिसके आधार पर उप-आयुक्त द्वारा दी गई आवेदन जो उप-आयुक्त द्वारा संयुक्त आयुक्त को भेजा गया था, और उस आवेदन को स्वयं खींचा और संशोधित किया गया था, और इसलिए, संयुक्त आयुक्त द्वारा की गई शक्ति का पूरा प्रयास गलत और अवास्तव है और इसे अवैध माना जाना चाहिए।

20. अपीलकर्ता के वकील, हालांकि, उन विवादों का खंडन करते हुए यह दावा किया कि हालांकि उप-आयुक्त ने संयुक्त आयुक्त को कुछ गलतियों और अनियमितियों को संदर्भित करने वाले कुछ गलतियों और अनुमान पर अपनी पूर्ववर्ती द्वारा किए गए आदेश में व्यक्त लेख किया था, लेकिन, यह एक शक्ति थी जिसे संयुक्त आयुक्त ने स्वतंत्रता से अपने अनुमान के आधार पर अभ्यर्थन की और इसलिए, यह कहा नहीं जा सकता है कि उक्त शक्ति का अवैध या अधिकारहीन रूप से प्रयोग किया गया था।

21. इसलिए हम रिकॉर्ड पर मौजूद सामग्रियों का संदर्भ ले सकते हैं ताकि उपरोक्त मुद्दे पर हमारे निष्कर्षों को दर्ज किया जा सके

22. इन सभी अपीलों में, वाणिज्य कर उप आयुक्त द्वारा संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को लिखे गए कई पत्र हैं। इनमें से एक पत्र दिनांक 28.8.2007 को है। उक्त पत्र में वाणिज्य कर उप आयुक्त द्वारा बताया गया है कि उक्त संचालन में स्वचलित पुनरीक्षण के फ़ाइलिंग के संबंध में है। वाणिज्य कर उप आयुक्त ने उपरोक्त पत्र को संयुक्त आयुक्त (प्रशासन) को लिखा था। उक्त पत्र में, वाणिज्य कर उप आयुक्त ने मूल कर आकलन आदेश और संशोधित आदेश में कुछ विद्यमान गलतियों का संदर्भित किया है। उसने उस संचार में यह भी कहा है कि उसे संशोधित कर आकलन आदेश और भुगतान आदेश पर सहमति नहीं है और इसलिए, उसके अनुसार बिहार वित्त अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत एक संशोधित करने की आवश्यकता है। तिथि 29.12.200 के खिलाफ एक संशोधित कर आकलन आदेश।

23 हमारा ध्यान भी संयुक्त वाणिज्य कर आयुक्त (प्रशासन) द्वारा जारी संशोधन के नोटिस पर आकर्षित किया गया था। इनमें से एक नोटिस दिनांक 17.12.2007 को जारी किया गया था, जिसे यहां प्रतिक्रियात्मक उत्तर वाले विप्रेषक अर्थात् उत्तरदाता के लिए श्रीवाम कोक इंडस्ट्रीज़ के नाम से जाना जाता है, आय वर्ष 1988-1989 से 1992-1993 और 1996-1997। उक्त नोटिस निम्नलिखित है:-

"जहाँ ऊपर के मामलों को पुनरीक्षित कार्यवाही आदेश पारित करते समय सभी बिंदुओं और तथ्यों का ध्यान नहीं दिया गया है जो अपील अदालत के निर्देशों के

अनुसार ध्यान में रखने योग्य थे, इसलिए उपरोक्त संशोधित मूल्यांकन आदेश न तो अपील अदालत के निर्देशों के संगत हैं और न ही कानून की प्रावधानों के अनुसार।

उपरोक्त तथ्यों के प्रकाश में, संशोधित मूल्यांकन आदेशों की वैधता और उचितता स्थापित नहीं हुई है और इसलिए उक्त आदेशों का पुनः मूल्यांकन आवश्यक माना गया है।

आपको यहां उपरोक्त संशोधित आदेशों को क्यों निरस्त नहीं किया जाना चाहिए, इसके संबंध में अपने विचार रखने के लिए 15.5.2007 को अधीनस्थ के सामने मौजूद होने के लिए निर्देशित किया जाता है।"

संयुक्त आयुक्त, वाणिज्य कर (प्रशासन)

धनबाद प्रमंडल, धनबाद"

24. संबंधित मामलों में इसी तरह के नोटिस के खिलाफ भी ऐसे आदेश मौजूद हैं।

25. उपरोक्त दो दस्तावेजों पर आधारित होकर, प्रतिवादी के वकील ने हमें सबमिट किया कि रिकॉर्ड के सामने स्पष्ट है कि कमर्शियल करों के संयुक्त आयुक्त ने कमर्शियल करों के उप आयुक्त द्वारा लिखित पत्र के आधार पर स्वचालित रूप से संचालन की क्रिया की, जिसमें कहा गया था कि संशोधन को बीएफटी अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के तहत दायर किया जाना चाहिए। इस स्थिति में सबमिट किया गया था कि चाहे यह डिप्टी कमिशनर द्वारा दी गई एक अनुप्रयोग हो और चाहे यह संयुक्त आयुक्त के द्वारा स्वचालित रूप से प्रयोग किया गया हो, वह सामान्य शक्ति के रूप में धारा 46 (2) के तहत धारा शक्ति को करने के लिए पात्र प्राधिकारी द्वारा एक आपतियों पक्ष द्वारा दी गई आवेदन है और यहां डिप्टी कमिशनर है। वकील के मुताबिक, क्योंकि डिप्टी कमिशनर एक आपत्ति पक्ष है, इसलिए वह ऐसा आवेदन दर्ज कर सकता था जिसमें शिकायत की गई है, और उसी दौरान अधिकारी

द्वारा प्रायोग किया जाने वाला सुप्रीम शक्ति, ऐसी स्थिति में यह शक्ति की 90 दिनों की अवधि में प्रायोग की जा सकती थी और करनी चाहिए थी।

26. हालाँकि, हम उपरोक्त तर्कों को इस साधारण कारण से स्वीकार करने में असमर्थ हैं कि 17.12.2007 को जारी किए गए नोटिस का एक मात्र अवलोकन, जिसकी विषय-वस्तु यहाँ पहले उद्धृत की गई है, यह दर्शाता है कि उपरोक्त नोटिस संयुक्त आयुक्त द्वारा धारा 46(4) के तहत प्रदान की गई अपनी व्यक्तिगत स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करके जारी किया गया था। यह ऐसा मामला नहीं है जहाँ ऐसा नोटिस डिप्टी कमिश्नर द्वारा दायर किए गए आवेदन के आधार पर जारी किया गया हो। यह स्पष्ट है क्योंकि उक्त नोटिस में डिप्टी कमिश्नर द्वारा भेजे गए आवेदन का बिल्कुल भी संदर्भ नहीं दिया गया है। यदि किसी विशेष मामले के उपलब्ध अभिलेखों से संयुक्त आयुक्त स्वतंत्र राय बनाता है कि यह ऐसा मामला है जिसमें संशोधन की स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए, तो उसे ऐसे आदेश को संशोधित करने की स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करने का अधिकार है जो अवैध प्रतीत होता है और सक्षम प्राधिकारी के अधिकार क्षेत्र के बिना है, जो नोटिस में ही ऐसे निष्कर्ष पर पहुंचने के अपने कारणों को दर्ज करके ऐसा नोटिस जारी करने के लिए सशक्त है।

27. वर्तमान मामले में संयुक्त आयुक्त ने नोटिस जारी करने के लिए अपने स्वतंत्र विचार का प्रयोग किया है तथा धारा 46(4) के तहत शक्ति का प्रयोग क्यों किया जाना चाहिए, इस निष्कर्ष पर पहुंचने के लिए अपने स्वयं के कारण भी दर्ज किए हैं। उपरोक्त कारण दर्ज करने के पश्चात निर्णय लेने के पश्चात करदाता को ऐसा नोटिस जारी किया गया। उक्त नोटिस जारी करके करदाता को सूचित किया गया कि संशोधित कर निर्धारण आदेश की वैधता एवं औचित्य नोटिस में उल्लिखित कारणों के कारण स्थापित नहीं हुआ है, अतः यदि आवश्यक समझा गया है तो उक्त आदेशों में संशोधन प्रस्तावित है। उक्त नोटिस द्वारा करदाता को संयुक्त आयुक्त के समक्ष उपस्थित होकर अपना पक्ष रखने का निर्देश दिया गया कि उपरोक्त संशोधित कर निर्धारण आदेश को क्यों न निरस्त किया जाए।

28. प्रतिवादी ने उक्त आदेश के जारी होने से व्यथित होकर उच्च न्यायालय के समक्ष रिट याचिका दायर की। हालांकि, उच्च न्यायालय ने उक्त नोटिस पर कोई रोक नहीं लगाई और प्रतिवादी को कानून के अनुसार उक्त नोटिस का विरोध करने की अनुमति दी, जिसके दौरान वाणिज्य कर के संयुक्त आयुक्त ने संशोधित आदेशों को अलग रखा और मामले को नए सिरे से मूल्यांकन के लिए कर निर्धारण अधिकारी को वापस भेज दिया।

29. उच्च न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान जो उपरोक्त अनुवर्ती घटनाक्रम हुआ था, उसे उच्च न्यायालय द्वारा संबोधित और तय नहीं किया गया है, क्योंकि उच्च न्यायालय ने दो मुद्दों पर पूरी रिट याचिका का निपटारा किया है, अर्थात् बीएफटी अधिनियम, 1981 की धारा 46(4) के दायरे और दायरे के मुद्दे पर और सीमाओं के आधार पर।

30. वाणिज्य कर प्रभाग के उपायुक्त ने संयुक्त आयुक्त को भेजे अपने पत्र में कर निर्धारण अधिकारी द्वारा पारित संशोधित कर निर्धारण आदेशों में कई खामियां बताई हैं। उपायुक्त ने यह भी बताया है कि किस प्रकार करदाता ने परस्पर विरोधी दावे और बयान दिए हैं और किस प्रकार ऐसे विरोधाभासी दावों को कायम रखते हुए विभाग को राजस्व की हानि हुई है। अपने पत्र के साथ संयुक्त आयुक्त को कुछ प्रासंगिक अभिलेख प्रेषित किए गए हैं। यह सही है कि वाणिज्य कर प्रभाग के उपायुक्त ने प्रतिवादी से संबंधित कर निर्धारण आदेशों में अपने पूर्ववर्ती द्वारा पारित संशोधित कर निर्धारण आदेशों में की गई कुछ अवैधताओं और अनियमितताओं को सामने लाया है और उनकी ओर इशारा किया है।

31. लेकिन संयुक्त आयुक्त द्वारा जारी किया गया नोटिस स्पष्ट रूप से यह दर्शाता है कि सक्षम प्राधिकारी होने के नाते उन्होंने स्वतंत्र राय और व्यक्तिगत संतुष्टि बनाई है कि संशोधित मूल्यांकन आदेशों की वैधता और औचित्य उक्त नोटिस में विशेष रूप से बताए गए कारणों से स्थापित नहीं किया गया है और इसलिए उन्होंने स्वप्रेरणा संशोधन की अपनी शक्ति का प्रयोग करना उचित समझा है जिसके परिणामस्वरूप उपरोक्त नोटिस जारी किया गया था।

32. उक्त नोटिस में उपायुक्त के पत्र तथा पत्र में निहित किसी अन्य सामग्री का कहीं भी कोई संदर्भ नहीं है, इसलिए यह नहीं कहा जा सकता कि उक्त नोटिस में उपरोक्त निष्कर्ष पर पहुंचते समय आयुक्त केवल उपायुक्त की राय से प्रभावित थे। अभिलेखों पर विचार करने पर हम संतुष्ट हैं कि यह किसी पीड़ित पक्ष अर्थात् उपायुक्त द्वारा दायर किसी आवेदन के आधार पर शुरू किया गया पुनरीक्षण नहीं था, बल्कि संयुक्त आयुक्त द्वारा अभिलेख पर मौजूद सामग्री के आधार पर बीएफटी अधिनियम की धारा 46(4) के तहत निहित स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग करने के लिए अपनी राय और संतुष्टि बनाकर पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करना था। इसलिए उपरोक्त तर्क को खारिज किया जाता है।

### **मुद्दा 2 • क्या विभाग द्वारा किया गया कार्य समय सीमा से बाहर था या नहीं**

33. अगला मुद्दा जो अब हमारे विचार के लिए उठता है वह यह है कि क्या स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाही तैयार करने की शक्ति का प्रयोग सीमा अवधि के भीतर या उचित समय अवधि के भीतर नहीं किया गया था।

34. हमने वह प्रावधान भी उद्धृत किया है जो स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण कार्यवाही आरंभ करने के लिए कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, जबकि आयुक्त के पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार की शुरुआत के लिए पीड़ित पक्ष द्वारा पुनरीक्षण आवेदन दायर करने के लिए सीमा अवधि निर्धारित की गई है, जो उस प्रासंगिक समय के अनुसार 90 दिन है।

35. उच्च न्यायालय ने माना है कि आयुक्त या संयुक्त आयुक्त द्वारा कार्यवाही शुरू करने के लिए स्वप्रेरणा पुनरीक्षण शक्ति का प्रयोग करने के लिए भी असीमित समय-सीमा नहीं हो सकती है, इसलिए सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 के प्रावधान को अधिनियम में शामिल किया गया है, जिसमें कहा गया है कि कार्रवाई के कारण के उत्पन्न होने की तिथि से कम से कम तीन वर्ष की अवधि के भीतर संयुक्त आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा पुनरीक्षण की ऐसी शक्ति का प्रयोग किया जाना चाहिए।



36. हम फिर से उपरोक्त तर्क को स्वीकार करने में असमर्थ हैं क्योंकि विधानमंडल ने सीमा अधिनियम के अनुच्छेद 137 की बीएफटी अधिनियम की धारा 46(4) पर लागू होने के बारे में प्रावधान में कुछ भी नहीं कहा है। यदि विधानमंडल किसी सीमा अवधि के लिए प्रावधान करने का इरादा रखता है या अनुच्छेद 137 के उक्त प्रावधान को धारा 46(4) में लागू करने का इरादा रखता है, तो विधानमंडल ने अधिनियम में ही ऐसा स्पष्ट रूप से कहा होता। जब विधानमंडल की भाषा स्पष्ट और असंदिग्ध है, तो उस भाषा में कुछ भी नहीं पढ़ा या जोड़ा जा सकता है, जो विशेष रूप से नहीं कहा गया है। इसलिए, उच्च न्यायालय ने सीमा अधिनियम की धारा 137 को बीएफटी अधिनियम की धारा 46(4) पर लागू करने को गलत तरीके से पढ़ा।

37. कानून की यह स्थापित स्थिति है कि किसी कानून की व्याख्या करते समय, जब धारा का अर्थ स्पष्ट और असंदिग्ध हो, तो उसमें कुछ भी जोड़ा या घटाया नहीं जा सकता। इस संबंध में हम इस न्यायालय के सकुरु बनाम तानाजी (1985) 3 एससीसी 590 में दिए गए निर्णय का भी उल्लेख कर सकते हैं, जिसमें इस न्यायालय ने कहा था कि सीमा अधिनियम न्यायालयों पर लागू होता है, न कि अर्ध न्यायिक प्राधिकरण पर।

38. उच्च न्यायालय ने यह निर्धारित करते हुए कि सीमा अधिनियम की धारा 137 वर्तमान मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर लागू होगी, उपरोक्त सिद्धांत और कानून की स्थापित स्थिति को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया।

39. हालाँकि, हम इस स्थिति से सहमत हैं कि इस तरह की शक्ति का प्रयोग पुनरीक्षण प्राधिकरण द्वारा अनिश्चित काल तक नहीं किया जा सकता है। हमारी राय में, ऐसी असाधारण शक्ति यानी पुनरीक्षण कार्यवाही शुरू करने की स्वप्रेरणा शक्ति का प्रयोग उचित समय अवधि के भीतर किया जाना चाहिए और उचित समय अवधि क्या होगी यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

40. इस प्रस्ताव के लिए, इस न्यायालय के कई निर्णयों का हवाला दिया जा सकता है, जिन पर प्रतिवादी की ओर से उपस्थित वकील ने भी भरोसा जताया था।

41 सुलोचना चंद्रकांत गलांडे बनाम पुणे म्यूनिसिपल ट्रांसपोर्ट एवं अन्य (2010) 8 एससीसी 467 में, "उचित समय" के मुद्दे पर विचार करते हुए इस न्यायालय ने निम्न प्रकार से निर्णय दिया:-

29. उपरोक्त के मद्देनजर, हम इस अपरिहार्य निष्कर्ष पर पहुँचते हैं कि संशोधन शक्तियों का विलम्बित चरण में मनमाने ढंग से उपयोग नहीं किया जा सकता है, क्योंकि 1976 अधिनियम की धारा 34 के तहत संशोधन में पारित आदेश एक न्यायिक आदेश है। उचित समय क्या होना चाहिए, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों और परिस्थितियों पर निर्भर करेगा।

42. भारत सरकार बनाम सिटेडल फाइन फार्मास्यूटिकल्स, मद्रास और अन्य में (1989) 3 एससीसी 483 में रिपोर्ट की गई:

6 ..... जबकि यह सच है कि नियम 12 में कोई अवधि निर्धारित नहीं की गई है जिसके भीतर नियम द्वारा परिकल्पित किसी शुल्क की वसूली की जानी है, लेकिन यह अपने आप में नियम को अनुचित या संविधान के अनुच्छेद 14 का उल्लंघन करने वाला नहीं बनाता है। किसी सीमा अवधि के अभाव में यह तय है कि प्रत्येक प्राधिकरण को उचित अवधि के भीतर शक्ति का प्रयोग करना है। उचित अवधि क्या होगी, यह प्रत्येक मामले के तथ्यों पर निर्भर करेगा .....

43. पंजाब राज्य सी.जी. अन्य बनाम भटिंडा जिला सहकारी दुग्ध उत्पादक संघ लिमिटेड (2007) 11 धारा 363 में रिपोर्ट किया गया

18. यह सामान्य बात है कि यदि कोई सीमा अवधि निर्धारित नहीं की गई है, तो वैधानिक प्राधिकरण को अपने अधिकार क्षेत्र का प्रयोग उचित अवधि के भीतर करना चाहिए। हालाँकि, उचित अवधि क्या होगी यह कानून की प्रकृति, उसके तहत अधिकारों और दायित्वों और अन्य प्रासंगिक कारकों पर निर्भर करेगा।

44. अब, हमारे विचार के लिए जो प्रश्न उठता है वह यह है कि क्या वर्तमान मामलों में संयुक्त आयुक्त द्वारा स्वप्रेरणा से पुनरीक्षण क्षेत्राधिकार का प्रयोग करने की शक्ति का प्रयोग उचित अवधि के भीतर किया गया था। अभिलेखों के अवलोकन पर, हम पाते हैं कि ऐसी शक्तियों का प्रयोग कुछ मामलों में लगभग तीन वर्ष की अवधि के भीतर और कुछ मामलों में तीन वर्ष की अवधि समाप्त होने के तुरंत बाद किया गया है। ऐसी अवधि जिसके दौरान संयुक्त आयुक्त द्वारा शक्ति का प्रयोग किया गया था, वर्तमान मामले के तथ्यों में किसी भी तरह से अनुचित नहीं कहा जा सकता है। तीन वर्ष की अवधि को बहुत लंबी अवधि नहीं कहा जा सकता है और इसलिए, इन सभी मामलों में, हम मानते हैं कि शक्ति का प्रयोग उचित समय के भीतर किया गया था।

**मुद्दा 3: क्या संयुक्त आयुक्त द्वारा पारित दिनांक 26.11.2007 का आदेश उचित है और इसे बनाए रखा जा सकता है**

45. उपर्युक्त दोनों मुद्दों पर उपर्युक्त तरीके से निर्णय लेने के बाद, हमारे विचार के लिए अगला और अंतिम मुद्दा यह है कि क्या संयुक्त आयुक्त द्वारा दिनांक 26.11.2007 को पारित आदेश, जिसमें दिनांक 27.12.2003 के संशोधित मूल्यांकन आदेश को रद्द किया गया था, उचित है और उसे बनाए रखा जा सकता है, क्योंकि उक्त आदेश उच्च न्यायालय में रिट याचिका के लंबित रहने के दौरान पारित किया गया था।

46. इस मुद्दे पर भी, हमने पक्षों की ओर से उपस्थित विद्वान वकील को सुना है। दिनांक 26.11.2003 का उपरोक्त आदेश उस समय पारित किया गया था जब प्रतिवादी उच्च न्यायालय में मुकदमा लड़ रहा था और इसलिए, करदाता के लिए अपना पूरा ध्यान और ध्यान देना संभव नहीं था और साथ ही संयुक्त आयुक्त के समक्ष लंबित उपरोक्त कार्यवाही पर भी पूरा ध्यान देना संभव नहीं था। अपीलकर्ता की ओर से उपस्थित विद्वान वकील इस तथ्य पर भी विवाद नहीं कर सके कि प्रतिवादी संयुक्त आयुक्त के समक्ष उपरोक्त मामले को बहुत प्रभावी ढंग से लड़ने में कुछ हद तक अक्षम था।

47 मामले के सम्पूर्ण तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विचार करते हुए, हम दिनांक 26.11.2007 के आदेश को भी निरस्त करते हैं तथा मामले को पुनः संयुक्त आयुक्त को वापस भेजते हैं ताकि वे पक्षों की सुनवाई करें तथा दिनांक 26.12.2003 के संशोधित मूल्यांकन आदेश की वैधता एवं औचित्य के संबंध में नया आदेश पारित करें। परिणामस्वरूप, मामला अब संयुक्त वाणिज्यिक कर आयुक्त को वापस भेजा जाता है ताकि वे यथाशीघ्र कानून के अनुसार अपने निर्णयों के कारण बताते हुए आदेश पारित करें। उच्च न्यायालय द्वारा पारित विवादित निर्णय एवं आदेश को पूर्वोक्त सीमा तक निरस्त किया जाता है तथा मामले को पूर्वोक्त रूप से वापस भेजते हुए पक्षों को अपना खर्च स्वयं वहन करने के लिए छोड़ दिया जाता है।

एन.जे.

मामलों का निपटारा कर दिया गया।

यह अनुवाद मधु कुमारी, पैनल अनुवादक के द्वारा किया गया है।